न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 11/2024

GCMS No. : 2024/21

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. राकेश पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति प्रजापत निवासी 28 विनायक नगर पाली मैसर्स कृष्णा आईसक्रीम सुरजपोल पाली (फर्म मालिक) 2. श्री अखिलेश प्रजापत पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी 18 बापु नगर पाली मैसर्स कृष्णा आईसक्रीम सुरजपोल पाली (खाद्य अनुज्ञापत्र धारक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नवरतन उपाध्याय।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.5.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 05.07.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स कृष्णा आईसक्रीम सुरजपोल पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम राकेश पुत्र कन्हैयालाल बताया एवं स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया, दुकान के निरीक्षण के दौरान एक फ्रिज में लगभग 50 से 60 कुल्फी रखी हुयी थी। जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने कुल्फी का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की कुल्फी का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 24 पीस कुल्फी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 480/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा कुल्फी को साफ सुखे चार सुटेबल कंटेनर में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1938 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया कुल्फी का नमुना संख्या आर–1938 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1879/एक्ट/2023/1923 दिनांक 19.07.2023 के अनुसार Substandard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Substandard (अवमानक) स्तर की कुल्फी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने वक्त बहस एवं अपने लिखित जवाब में प्रार्थी द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार करते हुए कथन किया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में न्यायानुकुल निर्णय व सुनवाई हेतु नियम 3.1.1(8)(10) के तहत नियुक्त योग्य पैनल अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा न कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ही प्रकरण न्यायालय में पेश कर दिया। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज की प्रतियां अप्रार्थीगण को दिये बगैर ही जैर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मौका फर्द रिपोर्ट तथा फार्म नम्बर 5ए के अवलोकन से भी स्वष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दो स्वतत्र गवाह के समक्ष सैम्पल लेना आवश्यक है लेकिन ऐसा न कर अपने साथ आये एक मात्र विभागीय कर्मचारी को ही गवाह बना लिया जो नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस एवं जवाब पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.07.2023 को अप्रार्थी की दुकान से कुल्फी वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1938 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये कुल्फी का नमुना कोड संख्या आर–1938 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया कुल्फी का नमुना Substandard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गयी एवं 30 दिवस तक अप्रार्थीगण द्वारा नमुने की पुनः जाचं करवाने या किसी प्रकार का प्रतिउत्तर प्रेषित नही करने की दशा में प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की दुकान से लिया गया कुल्फी का नमुना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार ही लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा Substandard (अवमानक) कुल्फी का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Substandard (अवमानक) कुल्फी का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक पर 5000–5000/– कुल 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली